

Regd.

Emant

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सीएएस/विजो/संयुक्त- विविध/2018/

दिनांक :

डॉ० एस.एस. शेखावत,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
पाली।

विषय : एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3509/2014 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2017 की पालना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : निदेशालय के पत्र क्रमांक 1519 दिनांक 31.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1519 दिनांक 31.08.2018 द्वारा संयुक्त निदेशक, जोन जोधपुर के आदेश क्रमांक 2196-2200 दिनांक 18.08.2018 का अनुमोदन करते हुये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों से वसूली करने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिसके सम्बन्ध में आपके स्तर से की गई कार्यवाही की पालना रिपोर्ट अपेक्षित है।

अतः प्रकरण में पालना रिपोर्ट के साथ व्यक्तिशः दिनांक 02.11.2018 को उपस्थित हों।

६०

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 22-10-18

क्रमांक : ई/सीएएस/विजो/संयुक्त- विविध/2018/1650

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित की मेल आईडी पर अपलोड करावें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।